

श्री रामोशत गौतम,
संयुक्त सीपिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन,
2/19, संत बिबहारि अंतारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली।

शिक्षण 117 अनुभाग

तारीख: दिनांक 27 जुलाई, 1989

विषय:- सनबीम हींगलवा स्कूल, भगवानपुर, वाराणसी को अनापारित प्रमाण पत्र
दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

सूचे यह कठने का निदेश हुआ है कि सनबीम हींगलवा स्कूल, भगवानपुर,
वाराणसी को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली के सम्बन्धता प्रमाण
पत्र देने में इस राज्य सरकार को निम्नीलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन
आपारित नहीं है :-

1. सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े वर्ग निर्धन आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उत्तम माध्यमिक शिक्षा परिषद/ क्षेत्रिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शैक्षिक से अधिक शैक्षिक नहीं लिया जायेगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य प्रतियोगिता से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेशा निर्गत किए जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षण पर स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

(Handwritten signature and date)

(Vertical stamp and signature on the right margin)
Principal
Sunbeam English School
Bhagwanpur, Varanasi

विशेष प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उत्तम नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
 - 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्ष, दो वैकल्पिक विधाय कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
 - 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायताप्राप्त अत्यावकीय उपयुक्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्त सेवा-निष्पत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - 4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पीजकाओं में रखा जायेगा।
- 2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापीरित प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भयदीय,

॥ सल0स्त0 गौतम ॥
संयुक्त सचिव।

Shashank

संख्या- _____ ॥ 11/15-17-89-तदीदनांक

Manager/Correspondent
Sunbeam English School
Bhagwanpur, Varanasi

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, शिक्षण कार्यालय, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय उ० शिक्षा निदेशक, वाराणसी।
- 3- प्रबन्धक, सनबीम इंग्लिश स्कूल, भगवानपुर, वाराणसी।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।

PRINCIPAL

Sunbeam English Scho
Bhagwanpur, Varanas

आशा से,

॥ सल0स्त0 गौतम ॥
संयुक्त सचिव।